12.02.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं है।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर 'खारिज' किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

12/2/25

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.07 10:00:16 IST
Reason: SelfAttested